कार्यालय वनमंड़ल सामान्य राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

टेलीफोन – (07372) 255007 (का.) 255008 (नि.) ई–मेल dforajgarh@mpforest.org

क्रमांक/माचि/2020/753 राजगढ़ दिनांक :– 16-3-2020

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. जल निगम मर्यादित
पी.आई.यू. राजगढ

विषय :– राजगढ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि जमा करने बाबत।

संदर्भ :– अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 956 दिनांक 07.03.2020

विषयांकित में लेख है कि आपके द्वारा वनमंडल राजगढ अंतर्गत वनखण्ड राजगढ, छायन एवं छगोडा के कक्ष क्रमांक पी–48,52,55, एवं 56 में पीने के पानी की 7 नग टंकियों का निर्माण कार्य किया जाना हैं जिसमें 0.63 हेक्टयर वनक्षेत्र प्रभावित होता है।

1. म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 06.08.2016 से पीने के पानी की टंकी को पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त किया जाता है।

2. नेट प्रजेन्ट वेल्यू के संदर्भ में म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ'–5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 तथा म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक–एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 21.11.2000 तथा सम संख्यक आदेश दिनांक 25.02.2003 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/921/10–11/789 दिनांक 27.02.2020 द्वारा आवेदक संस्था से टंकी निर्माण हेतु राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया है। प्रभावित वनभूमि III ट्रापीकल ड्राइ डिसीडियस फोरेस्ट (उष्ण कंटिबधीय शुष्क पर्णपाती वन) वन का घनत्व 0.4 के लिए एन.पी.व्ही. 6.26 लाख की लागत तथा 0.63 हेक्टयर की राशि जिसके ऐवज में उपयोगकर्ता से नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की **राशि 3,94,380/– अक्षरी(तीन लाख चौरानवे हजार तीन सौ अस्सी)** रुपये मात्र आवेदक /संस्था से वसूल कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल के पत्र क./एफ–11/भू–प्रबंध/2017/891 दिनांक 01.04.2017 के अनुसार सभी प्रकार की राशियॉं का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से राशि जमा कर सलंग्न प्रपत्र में जानकारी एवं जमा किये गये अभिलेखों की छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :– पत्र की छायाप्रति।

म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजगढ़
आवक क्र. 457
दिनांक 16/3/2020

वनमंड़लाधिकारी
सामान्य वनमंड़ल राजगढ़

D:\A My Document amrat 2019-20\DM\new Letters 2019.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध)

प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/एफ–11/भू–प्रबंध/2017/891 भोपाल, दिनांक 01-04-17

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्य प्रदेश
समस्त क्षेत्र संचालक/राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश
समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय), मध्य प्रदेश
समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक (राष्ट्रीय उद्यान), मध्यप्रदेश

विषयः–वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति के प्रकरणों में आवेदक संस्था से प्राप्त राशि को कैम्पा मद में जमा कराने बावत्।

––0––

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति के प्रकरणों में आवेदक संस्था से विभिन्न प्रकार की राशियां जैसे एन0पी0व्ही0, वैकल्पिक वृक्षारोपण, दाण्डिक रोपण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, नहर/सड़क किनारे रोपण, औषधीय रोपण आदि कार्यों के लिये प्राप्त की जाती है। आवेदक संस्था से प्राप्त इन राशियों को भारत सरकार द्वारा खोले गये निम्न 02 खातों में जमा करने के निर्देश आपको पूर्व में दिये गये हैं:–

बैंक का नाम	शाखा	IFSC Code	खाता क्रमांक
CORPORATION BANK	CGO COMPLEX PHASE-1, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003	CORP0000371	SB A/c 25216
UNION BANK OF INDIA	SUNDER NAGAR, NEW DELHI-110003	UBIN0534498	344902010105423

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थापित एन.आई.सी. केन्द्र के प्रभारी श्री आर.के. पाठक से हुई चर्चा के अनुसार आवेदक संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की राशियों का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 05/08/2015 से भी यह निर्देश दिये हैं कि आवेदक संस्थाओं से सभी प्रकार के भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से कराये जायें। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया मंत्रालय की वेबसाईट www.forestsclearance.nic.in के बांयी ओर के कॉलम में Support के बिन्दु E-payment process of Stage-II clearance में देखी जा सकती है। अतः आपके द्वारा आवेदक संस्था से जब भी किसी प्रकार की भुगतान की मांग की जाती है तो आप आवेदक संस्था को उपरोक्त बैंकों के खाते नंबर न देकर उन्हें यह निर्देश देवें कि यह भुगतान MoEF की वेबसाईट www.forestsclearance.nic.in पर जाकर करें। इस हेतु आवेदक संस्था को अपने यूजर आईडी से मंत्रालय की वेबसाईट पर जाकर आपके द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र को अपलोड करना होगा तथा मांग पत्र के अनुसार राशियों को मदवार भरना होगा। आवेदक संस्था द्वारा आवश्यक प्रविष्टियां करने पर तथा SUBMIT करने पर यह स्वमेव नोडल अधिकारी के पास आ जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा OK/verify करने पर स्वमेव चालान जनरेट हो जायेगा जिस आधार पर आवेदक संस्था सीधा भुगतान कर सकेगी। यदि आवेदक पूर्व से पंजीकृत नहीं है तो वह मंत्रालय की वेबसाईट पर अपने आप को पंजीकृत भी करा सकता है।

–2–

Scanned with CamScanner

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संस्था से किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त करने के लिये आवेदक संस्था को किसी बैंक का खाता नम्बर सूचित न किया जाये। आवेदक संस्था को मंत्रालय की वेबसाईट के माध्यम से ही भुगतान करने हेतु लेख किया जाये। यदि किसी आवेदक संस्था को वेबसाईट के माध्यम से भुगतान करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वह नोडल अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में आकर अपनी कठिनाई का निराकरण कर सकता है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो राशियां जैसे पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क, विदोहन व्यय, पर्यवेक्षण शुल्क, अग्नि सुरक्षा आदि राज्य शासन के राजस्व मद में जमा होती है, का भुगतान पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावे।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-11/भू-प्रबंध/2017/892 भोपाल, दिनांक 01-04-17
प्रतिलिपिः-

समस्त शाखा प्रभारी, कक्ष भू-प्रबन्ध की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डल सामान्य राजगढ़ (ब्यावरा) राजगढ़ दि० 15-6-17
क्र०/मानचि०/ 2115
प्रतिलिपि - उपवनमण्डलाधिकारी राजगढ़ एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजगढ़/ब्यावरा एवं मैनेजर अधिकारी नरसिंहगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
(सा.) वनमण्डल राजगढ़

प्रपत्र

अ.क्र.	आवेदक संस्था	परियोजना का नाम	आवेदक संस्था द्वारा		भारत सरकार स्थित म.प्र. स्टेट कैम्पा के खाते में जमा कराई गई राशि				अन्य कोई विवरण यदि हो	राशि जमा करने की सूचना प्राप्ती दिनांक	की गई प्रविष्टियों का राजपत्रित		
			मद	राशि	बैंक का नाम	खाता कमांक	UTR No.	दिनांक			नाम	पदनाम	हस्ताक्षर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													